08.02.2018 — प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध एक पक्षीय सुना जाकर अपील स्वीकार की गई एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17/04/2012 अपास्त किया गया। इस एक पक्षीय डिक्री एवं निर्णय को निरस्त किया जाकर पुनः सुनवाई हेतु यह आवेदन पत्र प्रस्तुत है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथी/रेस्पोडेन्ट मदनलाल के वक्त सुनवाई उपस्थित नही होने से एक तरफा, एकपक्षीय सुनवाई की जाकर अपील स्वीकार की गई, क्योकि प्रार्थी के अभिभाषक वक्त बहस उपस्थित नही हुए और न ही प्रार्थी को इस बाबत् कोई सूचना दी। यह आंवटन प्रार्थी के पिता छोगालालजी को दिनांक 12/06/1972 को हुआ जिनके स्वर्गवास के पश्चात् से ही प्रार्थी इस पर काबिज है। आंवटन निरस्ती की कार्यवाही मे भी प्रार्थी के अभिभाषक उपस्थित नही हुए न ही प्रार्थी को सूचना दी। प्रार्थी एक भूमिहीन कृषक है और प्रार्थी के पिता को दिनांक 12/06/1972 को जो आंवटन हुआ उसके पश्चात् प्रार्थी के पिता एंव प्रार्थी ने अंग मेहनत करके भूमि को आबाद किया है एवं आज तक काबिज है। पटवार हल्का द्वारा दिनांक 09/01/2017 को इस बाबत् जानकारी हुई जिस पर नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जो नकल दिनांक 10/01/2017 को प्राप्त हुई। उससे इस निर्णय की जानकारी हुई। जिससे यह अपील प्रस्तुत है। दिनांक 21/05/2015 से दिनांक 19/01/2017 तक का समय कण्डोन किये जाने योग्य है साथ मे धारा 5 कानून मियाद का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः निवेदन है कि एक पक्षीय निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21/05/2015 को निरस्त फरमाया जाकर प्रार्थी को सुना जाकर नियमानुसार निर्णय फरमाया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। वकील रेस्पोडेन्ट/राजकीय अधिवक्ता को भी एक तरफा कार्यवाही निरस्त कर निर्णय पारित करने मे कोई आपत्ति नही होना बताया है साथ ही यह भी निवेदन किया कि अपी संख्या 5/2017/एलआर के साथ ही इस प्रकरण मे भी अंतिम निर्णय पारित किया जाना उचित रहेगा। समस्त रिकार्ड एवं परिस्थितियो को देखते हुए न्यायहित मे इस न्यायालय द्वारा अपील संख्या 41/2014/ डिक्री मे पारित निर्णय दिनांक

17/04/2012 रिव्यू किया जाकर अपास्त किया जाता है। चूंकि इस प्रकरण मे जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण संख्या 16/1992 मे भूमि आंवटन निरस्तीकरण अदेश दिनांक 01/11/1995 को इस न्यायालय मे लम्बित अपील संख्या 5/2017/ एलआर अनुवानी मदनलाल बनाम सरकार दिनांक 08/02/2018 निर्णित करते हुए जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ का आदेश यथावत रखा गया है। ऐसी सूरत मे जब मूल आंवटन आदेश दिनांक 12/06/1972 ही निरस्त हो चुका है। ऐसी सूरत मे प्रार्थना पत्र संख्या 2/2017/विविध को स्वीकार किया जाकर उपखण्ड अधिकारी कपासन का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17/04/2012 गुणावगुण के आधार पर अपास्त किया जाता है।सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी,
चित्तौड़गढ़